

24.5.22

पतावली पेश हुई। वकील महाराजों अनुमोदित
वकील बादी क प्रतिवादी एवं बादीक प्रतिवादीयों को
जामाखत समेत क कार-कार आवलन कराई गई
लेकिन कोई उपाधि नही हुए।

अतः बादी का काद अन्वित धारा 88, 53, 188 -
वा.पी.ए. अन्वित अध्या 09 नियम 03 के तहत
अदम हाजिरी अदम पैरवी के लीरन लिखा जाता है
पतावली फिलहाल शुभा होकर जाकर से काम होकर
दाखिल दफ्तर हो। निर्णय कृत जामाखत में
मुनाशा गया।

उपर्युक्त अधिकारी
साँधर लेख

